

---

रूप-पत्र 28

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम (11) देखिये)

रजिस्टर जो नियम 12-ख के उपनियम (6) या (7) के अधीन प्राप्त प्रत्येक श्रेणी के रूप-पत्रों के सम्बन्ध में ऐसे व्यापारी द्वारा अलग-अलग रखा जायेगा जिन्हें वह कर-मुक्त का दावा करने के लिए दूसरे व्यापारी से प्राप्त करें।

प्राप्त रूप-पत्र का प्रकार 3-ग ( )

---

क्रम संख्या	प्राप्त का दिनांक	प्राप्त रूप-पत्र की संख्या और दिनांक	व्यापारी का नाम व पूरा पता जिससे प्राप्त हुआ	स्तम्भ 4 में उल्लिखित व्यापारी की रजिस्ट्री संख्या और वैधता का दिनांक	प्राप्त बिल कैशमैमो / क्रय/विक्रय लेखे की संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6

---

रूप-पत्र में प्रविष्ट वस्तु की धनराशि

---

तौल	खाद्यान	तिलहन	गुड़	राब	जूट	देशी घी	खांडसारी शक्कर	अभ्युक्ति
7	8(क)	8(ख)	8(ग)	8(घ)	8(ङ)	8(च)	8(छ)	9

---

टिप्पणी - धारा 3घ के अधीन विज्ञापित किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, जिसके लिए व्यापारी द्वारा घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाय, स्तम्भ 8 में अलग-अलग उप-स्तम्भ बनाये जा सकते हैं।

---

---